झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान-सभा

नवम्-सत्र

वर्ग-03

निम्नलिखित अल्पसूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांक :- 14 भाद्र, 1934 (शा0) / 05 सितम्बर, 2012 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सा० संख्या	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
§44§-	अ0सू0-18	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	कानून संबंधी कार्रवाई करना ।	परिवहन	28. 08. 12
§45§-	अ0सू0-09	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी	टाउन प्लानर की नियुक्ति ।	नगर विकास	25. 08. 12
§46§-	अ0सू0-02	श्री बन्ना गुप्ता	अतिरिक्त मद उपलब्ध कराना ।	नगर विकास	14. 08. 12
§47§-	अ0सू0-22	श्री संजय प्रसाद यादव	अभियंता को निलंबित करना ।	ग्रामीण कार्य	30. 08. 12
§48§-	अ0सू0-01	श्रीमती कुन्ती देवी	शेड का निर्माण ।	न0विकास	14. 08. 12
§49§-	अ0सू0-13	श्री विष्णु प्रसाद भैया	आवास को मुक्त कराना ।	भ0निर्माण	25. 08. 12
§50§-	अ0सू0-23	श्री संजय प्रसाद यादव	अभियन्ता पर कार्रवाई।	ग्रा0 कार्य	30. 08. 12
§51§-	अ0सू0-16	श्री सावना लकड़ा	चेक पोस्ट का निर्माण ।	परिवहन	28. 08. 12
§52§-	अ0सू0-20	डा0 सरफराज अहमद	एजेन्सी पर कार्रवाई ।	ग्रा0 कार्य	30. 08. 12
§53§-	अ0सू0-19	श्री विनोद कुमार सिंह	उपायुक्त पर कार्रवाई।	ग्रा0वि0	30. 08. 12
§54§-	अ0सू0-03	श्री बन्ना गुप्ता	कचरा निष्पादन करना।	न0विकास	14. 08. 12
§55§-	अ0सू0-14	श्री सावना लकड़ा	यात्री सुविधा देना ।	न0विकास	25. 08. 12

§कृ0सू030§-

(56)-	अ0सू0-06	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी	उपयोगिता प्रमाण-पत्र देना ।	पंचायती राज	21.08.12
(57)-	अ0सू0-08	श्री माधव लाल सिंह	इन्दिरा आवास बनाना।	ग्रा0विकास	21.08.12
(58)-	अ0सू0-25	श्री नवीन जयसवाल	निदान हेतु कार्रवाई ।	न0विकास	30.08.12
(59)-	अ0सू0-17	श्री कमल किशोर भगत	उच्चस्तरीय जाँच कर कार्रवाई ।	राजस्व एवं भूमि सुधार	28.08.12
(60)-	अ0सू0-15	श्री कमल किशोर भगत	कारगार उपाय करना।	परिवहन	27.08.12
(61)-	अ0सू0-12	श्री दीपक बिरूआ	जमीन का पट्टा देना।	राजस्व एवं भूमि सुधार	25.08.12
(62)-	अ0सू0-05	श्री बंन्धु तिर्की	समय सीमा के अन्दर निष्पादन करना ।	राजस्व एवं भूमि सुधार	21.08.12
(63)-	अ0सू0-07	श्री रघुवर दास	एकरारनामा के विरूद्ध कार्रवाई ।	राजस्व एवं भूमि सुधार	21.08.12
(64)-	अ0सू0-26	श्री नवीन जयसवाल	निदान हेतु कार्रवाई ।	न0विकास	30.08.12
(65)-	अ0सू0-24	श्री अमित कुमार यादव	प्रोन्नति देना ।	परिवहन	30.08.12
(66)-	अ0सू0-04	श्री बन्धु तिर्की	पदाधिकारियों पर कार्रवाई ।	ग्रामीण विकास	21.08.12
(67)-	अ0सू0-21	श्री दुलू महतो	वर्णित सड़क का निर्माण ।	प0निर्माण	30.08.12
(68)-	अ0सू0-10	श्री प्रदीप यादव	योजनाओं को पूरा करना ।	ग्रामीण विकास	23.08.12
(69)-	अ0सू0-11	श्री अरविन्द कुमार सिंह	पथ का चौड़ीकरण ।	प0निर्माण	25.08.12

राँची,
दिनांक:-05.09.2012 ई0 ।

समरेन्द्र कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची ।

ज्ञापांक:- 3020 /वि0स0, राँची, दिनांक:- 01 सितम्बर, 2012 ई0 ।

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्रिगण/अन्य मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/नेता विरोधी दल, झारखण्ड विधान-सभा/मुख्य सचिव तथा महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित ।

1.9.12
(शिशिर कुमार झा)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची ।

ज्ञापांक:- 3020 /वि0स0, राँची, दिनांक:- 01 सितम्बर, 2012 ई0

प्रतिलिपि:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/चयुर्यालिपिक सचिवीय कार्यालय एवं अवर सचिव (प्रश्न) को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं अवर सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित ।

झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स०वि०स० से प्राप्त चलते अधिवेशन में दिनांक 05.09.2012 को पूछा जानेवाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या - 18 का उत्तर प्रतिवेदन :-

प्रश्नकर्त्ता निर्भय कुमार शाहाबादी स०वि०स०		उत्तर माननीय श्री चम्पई सोरेन परिवहन मंत्री, झारखण्ड सरकार
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में यातायात पुलिस पदाधिकारियों द्वारा सभी प्रकार के निजी एवं व्यवसायिक वाहनों के कागजात की जाँच पड़ताल की जाती है, तथा कागजातों में त्रृटि होने पर फाईन की जाती है;	-	उत्तर स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड(1) में वर्णित पदाधिकारियों को सम्बन्धित अधिनियम के तहत सिर्फ यातायात व्यवस्था से संबंधित माप-दण्ड का उलंघन करने पर वाहन मालिकों से फाईन राशि लेने का अधिकार प्राप्त है;	-	परिवहन विभाग का अधिसूचना संख्या-परि०वि०-161 /2009 - 953 दिनांक 14.09.2009 के द्वारा राँची, हजारीबाग, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो एवं देवघर के शहरी क्षेत्रों में पदस्थापित यातायात पुलिस के सहायक अवर निरीक्षक से अन्यून स्तर के सभी यातायात पुलिस पदाधिकारियों को मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के अन्तर्गत अन्य धाराओं में विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गई है। इस शक्ति का प्रयोग यातायात पुलिस में पदस्थापित सक्षम स्तर के पदाधिकारियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य पुलिस पदाधिकारी द्वारा किसी परिस्थिति में नही किया जा सकता है।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड(1) में वर्णित पदाधिकारियों द्वारा सम्बन्धित अधिनियम की अवहेलना कर वाहन मालिकों पर फाईन की जाती है;	-	उत्तर अस्वीकारात्मक है। कण्डिका 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड(1) में वर्णित पदाधिकारियों पर नियम विरूद्ध कार्य करने पर कानून संवत कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों ?	-	उत्तर अस्वीकारात्मक है। कण्डिका 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

31.8.12

सरकार के उप सचिव

परिवहन विभाग

05.09.12 (Sawana Lakra)

ज्ञापांक - परि०वि० - 404/12 - 888 / राँची, दिनांक - 31/8/12

प्रतिलिपि - अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके पत्र संख्या -2970/वि०स० दिनांक 28.08.2012 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रेषित/मंत्रिमण्डल एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Copy
31.8.12

सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग

05.09.12 (Sawana Lakra)

(45)

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–05.09.12 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–09 का उत्तर सामग्री।

क्रं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में 39 नगर विकास निकाय के अलावा राँची नगर निगम, धनबाद नगर निगम और देवघर नगर निगम में कही पर भी टाउन प्लानर की नियुक्ति राज्य गठन के 12 वर्षो में नहीं की गई,	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि 15 मार्च, 2011 को मुख्यमंत्री के स्तर से टाउन प्लानर की नियुक्ति का आदेश दिया गया था, परन्तु अब तक नियुक्ति नहीं की जा सकी,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के आलोक में टाउन प्लानर की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। परन्तु साक्षात्कार में मात्र 01 (एक) अभ्यर्थी उपस्थित हुये, जो अर्हता पूरी नहीं करते थे। इस लिए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य में समुचित टाउन प्लानिंग के लिए आवश्यक टाउन प्लानर की नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों ?	नगर निवेशन सेवा के विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति नियमावली प्रक्रियाधीन है, उसके अन्तिमीकरण के पश्चात् इसी वित्तीय वर्ष में विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति कर ली जायेगी।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

– 4462 .

ज्ञापांक :– 1 / स्था0 / न0वि0 / अ0सू0प्र0स0 / 118 / 12 ..... राँची, दिनांक :– 31-08-12 .

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र ज्ञापांक–2908 वि0स0, राँची, दि0–25.08.12 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/8/12
(निर्मल मुईयाँ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

46.

श्री बन्ना गुप्ता, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक–05.09.12 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–02 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि मानगो अ0क्षे0स0 को सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष सफाई, जलापूर्ति और हैंडपम्प मरम्मतीकरण हेतु मात्र बीस लाख रू0 की मद उपलब्ध करायी जाती है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में 24,93,541 रू0 एवं वित्तीय वर्ष 2012–13 में 24,93,541 रू0 जलापूर्ति, सफाई एवं हैंडपम्प मरम्मती में दिया गया है। इसके अतिरिक्त मानगो जलापूर्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012–13 में अंतिम किस्त के रूप में 144804000 रू0 विमुक्त किया गया है ।
2.	क्या यह बात सही है कि मानगो अ0क्षे0स0 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चालीस लाख हैंडपम्प मरम्मतीकरण पर पन्द्रह लाख और जलापूर्ति टेंकर पर बीस लाख रू0 मद का खर्च आता है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में सफाई, हैंडपम्प मरम्मति एवं टैंकर जलापूर्ति मद में 5765089 रू0 व्यय किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि मानगो अ0क्षे0स0 मद के अभाव में सफाई, जलापूर्ति और हैंडपम्प मरम्मतीकरण का कार्य बाधित हो रहा है ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। कार्य बाधित नहीं हो रहा है। राशि की कमी होने पर स्थानीय निधि से व्यय किया जाता है।
4.	यदि उपरोक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मानगो अ0क्षे0स0 को कार्य सुचारू रूप से करने हेतु अतिरिक्त मद उपलब्ध कराने का विचार रखती है हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चूँकि उपर्युक्त खंड के उत्तर अस्वीकारात्मक है इसलिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है ।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास विभाग

ज्ञापांकः–3 / न0वि0 / अल्पसूचित / 106 / 2012 - 4456. राँची, दिनांक– 31-08-12

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 – 2202 वि0स0 राँची, दिनांक–14.08.12 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31/8/12

(संजय कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव ।

Jh.11

(48)

श्रीमती कुन्ती देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक–05.09.12 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–01/2012 का उत्तरः–

क्र0	निवेदन	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत झरिया प्रखण्ड में मोहलबनी स्थित दामोदर नदी के किनारे धनबाद, झरिया के अधिकांश लोग अपने मृत परिजन का दाह संस्कार करते है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त नदी के किनारे कोई शेड नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में भीषण गर्मी में बचने के लिए आमजन को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	क्या सरकार झरिया प्रखण्ड में मोहलबनी स्थित दामोदर नदी के किनारे एक बड़ा शेड का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	धनबाद नगर निगम द्वारा यह सूचित किया गया है कि नगर निगम की आगामी बैठक में प्रस्ताव उपस्थापित करते हुए शेड निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास विभाग

ज्ञापांकः–3/न0वि0/अल्पसूचित/107/12 - 4458. राँची, दिनांक– 31-08-12.

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके पत्रांक– 2186 / वि0स0 दिनांक–14.08.12 के क्रम में 200 (दो सौ प्रति) के साथ सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

30/8

49.

श्री विष्णु प्रसाद भैया, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-05/09/12 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-13

क्या मंत्री, भवन निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

क्रम सं	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची शहरी क्षेत्र अन्तर्गत-एच०ई०सी० कॉलोनी के सेक्टर-2 स्थित साईड-4 के बी० टाईप, आवास संख्या-2313, 2314, 2315, 2316, 2343 अवैध कब्जे में है ;	स्वीकारात्मक ।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त आवासों पर महिला समाज दर्पण की संचालिका श्रीमती रेणुका सिंह तथा प्रमोद कुमार पुलिस जमशेदपुर जिला बल का अवैध कब्जा है ?	स्वीकारात्मक ।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त आवासों में रहनेवाले लोगों के विरूद्ध दिनांक-19/06/12 को निष्कासन आदेश निर्गत किया गया था, लेकिन अभी तक निष्कासन की कार्रवाई नहीं की गई?	स्वीकारात्मक ।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जाधारियों से अवास को मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक नहीं तो क्यों ?	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल संख्या-2, राँची के पत्रांक-1924अनु0 दिनांक-28/08/12 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर राँची को अवैध कब्जा से मुक्त कराने हेतु लिखा गया है।

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांक-भ०3-विधायी-39/12 1694 (M) राँची दिनांक- 04.09.12

प्रतिलिपि :-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या-2904 दिनांक-25/08/12 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5/9/12
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक-भ०3-विधायी-39/12 1694(M) राँची दिनांक- 04.09.12

प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग को विधान सभा स्थित कार्यालय कोषांग/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को पाँच-पाँच प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

5/9/12
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, राँची ।

झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

51

श्री सावना लकड़ा, स०वि०स० से प्राप्त चलते अधिवेशन में दिनांक 05.09.2012 को पूछा जानेवाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या - 16 का उत्तर प्रतिवेदन :-

प्रश्नकर्त्ता श्री सावना लकड़ा स०वि०स०		उत्तर माननीय श्री चम्पई सोरेन परिवहन मंत्री, झारखण्ड सरकार
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के 9(नौ) खनन जिला यथा बोकारो, धनबाद, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, लोहरदगा, रामगढ़, राँची और सरायकेला-खरसाँवा में चेकपोस्ट एवं धर्मकांटा, नही रहने से राज्य को राजस्व की हानि हो रही है, जबकि स्मार्ट चेकपोस्ट बनाने की योजना वर्ष 2005-06 में ही बनी थी और इसके लिए राशि का भी प्रावधान है;	-	उत्तर अस्वीकरात्मक है। प्रश्न की कण्डिका-1 में वर्णित खनन जिला यथा - धनबाद, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, बोकारो, लोहरदगा, रामगढ़, राँची और सरायकेला-खरसाँवा में चेकपोस्ट एवं धर्मकांटा के नही रहने से राज्य को राजस्व की हानि से संबंधित है। परिवहन विभाग द्वारा खनन जिलों में चेकपोस्ट एवं धर्मकांटा लगाने का कार्य नहीं किया जाता है। परिवहन विभाग द्वारा मात्र 9 **अन्तर्राज्यीय सीमान्त** जिलों में स्वचालित चेकपोस्ट का निर्माण योजना यथा - (1) चिरकुण्डा (धनबाद) (2) चौपारण (हजारीबाग) (3) बहरागोड़ा (पूर्वी सिंहभूम) (4) मेघातरी (कोडरमा) (5) मंझाटोली (गुमला) (6) मूरीसेमर (गढ़वा) (7) धुलियान (पाकुड़) (8) चासमोड़ (बोकारो) (9) बांसजोर (सिमडेगा) का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।
2. यदि उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजस्व की क्षति रोकने हेतु चेकपोस्ट निर्माण का काम पूरा कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नही तो क्यों ?	-	उपरोक्त कण्डिका (1) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

05.9.12

सरकार के उप सचिव

परिवहन विभाग

ज्ञापांक - परि०वि० - 403/12 - 921 / राँची, दिनांक - 05/9/12

प्रतिलिपि - अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके पत्र संख्या -2971/वि०स० दिनांक 28.08.2012 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रेषित/मंत्रिमण्डल एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

05.9.12

सरकार के उप सचिव

परिवहन विभाग

05.09.12 (Sawana Lakra)

(52)

दिनांक 05.09.12 को मा0 स0वि0स0 डा0 श्री सरफराज अहमद द्वारा सदन में पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–20

प्रश्नकर्त्ता डा0 श्री सरफराज अहमद, मा0 स0वि0स0	उत्तरदाता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1– क्या यह बात सही है कि राज्य में कुल 13,448 कि0मी0 सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0) के अन्तर्गत वर्ष 2012 तक होना था, जिसमें अभी तक कुल 7896 कि0मी0 सड़क ही बन पायी है ;	1– आंशिक स्वीकारात्मक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0 जी0एस0वाई0) के अन्तर्गत 13448 कि0मी0 स्वीकृत है जिसके विरूद्ध माह अग्रस्त 12 तक लगभग 8100 कि0मी0 तक का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष कार्य प्रगति में है।
2– क्या यह बात सही है कि योजना के अन्तर्गत बनने वाली सड़क की गुणवत्ता की जाँच नेशनल क्वालिटी मॉनिटर टीम (एन0क्यू0एम0) के द्वारा की जाती है, जिसने अपनी जांच रिपोर्ट में बने हुए सड़क की गुणवत्ता को असंतोषजनक बताया है ;	2–आंशिक स्वीकारात्मक। एन0क्यू0एम0 द्वारा पथों के निरीक्षणोपरांत उन्हें संतोषजनक/सुधार की आवश्यकता एवं असंतोषजनक तीन श्रेणियों में रखा जाता है जिन पथों को असंतोषजनक/सुधार की आवश्यकता श्रेणी में रखा जाता है उनमें पी0एम0जी0एस0वाई0 गाईडलाइन के अनुसार आवश्यक सुधार कर उनका एक्शन टेकन रिपोर्ट (ए0टी0आर0) एन0आर0आर0डी0ए0 को भेजा जाता है। एन0आर0आर0डी0ए0 द्वारा जांच कर पथों की रिग्रेडिंग की जाती है।
3– यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार धीमी गति से सड़क निर्माण एंव निर्धारित मापदंड के अनुसार सड़क निर्माण नहीं कराने वाले विभागीय इंजीनियर व एजेंसी पर कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3–सरकार द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 से बन रहें सड़क के निर्माण की जांच समय–समय पर करायी जाती रही है और दोषी विभागीय इंजीनियर एवं एजेंसी के विरूद्ध कार्रवाई भी की जाती रही है।

झारखंड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक– 01 (वि0स0–12)–798/2012.....2555.....राँची, दिनांक.....04.9.12

प्रतिलिपि –200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2994 दिनांक–30.08.2012 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–01 (वि0स0–12)–798/2012.....2555.....राँची, दिनांक.....04.9.12

प्रतिलिपि –माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/मा0 मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(53)

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा आगामी दिनांक 05.9.2012 को पूछा जानेवाला एक अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – अ0 सू0 – 19 का उत्तर

प्रश्न–कर्ता – श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा	उत्तर–दाता – श्री सुदेश कुमार महतो, उप मुख्य (ग्रामीण विकास) मंत्री, झारखण्ड सरकार, राँची
1. क्या यह बात सही है कि तत्कालीन उपायुक्त चतरा के द्वारा मनरेगा के कार्य **प्रेरणा निकेतन** एवं **वेलफेयर प्वाईंट** एन0 जी0 ओ0 को आवंटन एवं कार्य में अनियमितता की जाँच आयुक्त उतरी छोटानागपुर के द्वारा मार्च, 2012 में की गयी थी;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि जाँच रिर्पोट में कार्य आवंटन एवं कार्यन्वयन में अनियमितता का पुष्टि हुई है;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं; तो क्या सरकार तत्कालीन उपायुक्त चतरा पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस विभाग के पत्र संख्या –7036 दिनांक 17.8.2012 के द्वारा तत्कालीन उपायुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, चतरा एवं उप विकास आयुक्त, चतरा सहित अन्य सभी दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर विभागीय कार्रवाइयों के निमित्त विहित प्रपत्र 'क' के अन्तर्गत् आरोप गठित कर दस दिनों के अन्तर्गत् साक्ष्य तालिका के संग आरोप–पत्रों की माँग आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग से की गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 4 / प्रशा0 – III / 3007 / ASS / 2012 / ग्रा0 वि0 – 7444 राँची, दिनांक 04·9·12

प्रतिलिपि :– श्री नवीन कुमार, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके एक ज्ञाप संख्या – प्र0 – 2995 / वि0 स0 दिनांक 30.8.2012 के संदर्भ में दो सौ अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04.9.2012
(राज मोहन तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – 4 / प्रशा0 – III / 3007 / ASS / 2012 / ग्रा0 वि0 – 7444 राँची, दिनांक 04·9·12

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव / माननीय संसदीय कार्य मंत्री / माननीय उप मुख्य (ग्रामीण विकास विभागीय) मंत्री, झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04.9.2012
सरकार के उप सचिव।

श्री बन्ना गुप्ता, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक–05.09.12 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 03 का उत्तरः– 54.

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर पूर्वी जिलान्तर्गत मानगो क्षेत्र में 150 टन कचरा प्रतिदिन निकलता है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि मानगो क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा डंपिंग जोन नहीं बनाये जाने के कारण अबतक मानगो क्षेत्र का कचरा जुस्को के कचरा डंपिंग जोन में फेंका जाता है। जुस्को द्वारा मानगो अ0क्षे0स0 का कचरा अपने डंपिंग जोन में फेंके जाने की अनुमति नहीं दिये जाने के कारण कचरा फेंकने का निष्पादन नहीं किया जा रहा है; जिससे क्षेत्र में महामारी की आशंका बनी हुई है;	आशिंक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक–09.05.12 से 16.05.12 एवं 04.07.12 से 19.07.12 तक जुस्को के अधिकारियो के द्वारा रोक लगाये जाने के कारण कचरा का उठाव एवं निष्पादन थोडा प्रभावित हुआ था । वर्तमान में कचरा उठाव एवं निष्पादन निर्वाध रूप से जारी है।
3.	क्यदि उपरोक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अपना कचरा डंपिंग जोन बनाने एवं नियमित कचरा निष्पादन का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यो ?	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के तहत खैरबनी (जमशेदपुर) में कचरा निष्पादन सयंत्र के अधिष्ठापन हेतु मेसर्स एस0पी0एम0एल0 एवं विशेष पदाधिकारी जमशेदपुर अ0क्षे0स0 जो नोडल पदाधिकारी हैं के बीच दिनांक–08.08.12 को इस योजना पर एकरारनामा किया गया है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास विभाग

ज्ञापांकः–3/न0वि0/अल्पसूचित/105/2012 – 4454. राँची, दिनांक– 31-08-12.

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 – 2203 वि0स0 राँची, दिनांक–14.08.12 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31/8/12

(संजय कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव ।

Jh.10

53

श्री सावना लकड़ा, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–05.09.12 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–14 का उत्तरः–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत् राँची शहर को 70 बसें मिली है, इसमें मुश्किल से 55 बसों का ही परिचालन प्रतिदिन होता है, जबकि शहर में दस मार्गों में कम से कम एक सौ बसों की जरूरत है;	स्वीकारात्मक है। JnNURM के अन्तर्गत 70 बसों की खरीद हुई है एवं उनके परिचालन हेतु उन्हे झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है। स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए कुछ बसों का परिचालन राँची से उपनगरीय क्षेत्रों में किया जा रहा है।
2. क्या यह बात सही है राँची नगर निगम द्वारा पूरे शहर में 24 बस स्टॉपेज का निर्माण किया गया है परंतु सबकी स्थिति ठीक नहीं है जिससे यात्रियों की प्रतिक्षा के दौरान असुविधा होती है ;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि राँची नगर निगम क्षेत्र में कुल 72 बस स्टॉपेज का निर्माण निगम के अन्तर्गत निबंधित विज्ञापन एजेंसियों द्वारा कराया गया है।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शहर के ट्राफिक लोड के अनुरूप सिटी बसों की संख्या बढ़ाने और बस स्टॉपिज में यात्री सुविधा दुरूस्त रखने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राँची शहरी बस सेवा हेतु 20 Non AC एवं 10 AC बसों का क्रय किया जाना प्रक्रियाधीन है । बस पड़ावों के आधुनिकीकरण का निर्देश संबंधित एजेंसियों को दिया जा चुका है एवं कार्य प्रगति पर है ।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास विभाग

ज्ञापांकः–2/न0वि0/वि0स0प्र0)–18/2012 –4512. राँची , दिनांक–03-09-12.

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या –2909 दिनांक–25.08.2012 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/विधायी कोषांग, नगर विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03.9.12

सरकार के अवर सचिव।

D.Sep-2012

58

श्री नवीन जयसवाल माननीय स0वि0स0 द्वारा आगामी अधिवेशन में दिनांक–05.09.12 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–25 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि एच0ई0सी0 क्षेत्र के अन्तर्गत सड़कों एवं नालियों की स्थिति काफी दयनीय तथा जर्जर है;	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि एच0ई0सी0 क्षेत्र के वार्ड 39, 40, 41, 42, 43 एवं 44 के कुछ सड़क क्षतिग्रस्त है। HEC का सिवरेज ड्रेनेज सिस्टम भी कुछ क्षतिग्रस्त है।
2. क्या यह बात सही है कि इन क्षेत्रों में वर्षों से सड़क एवं नाला निर्माण के क्षेत्र में किसी तरह का कार्य नहीं किया गया है;	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। राज्य सरकार द्वारा राँची सिवरेज ड्रेनेज योजना का डी0पी0आर0 तैयार कराया गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राँची नगर निगम को इस योजना के लिए राशि प्राथमिकता के आधार पर विमुक्त किया जाता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त समस्याओं के निदान हेतु कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 की धारा 290–299 तक में सड़क बनवाने एवं 226 से 241 तक में नाली बनवाने की शक्ति शहरी स्थानीय निकाय में निहित है। कार्य सम्पादन की सम्पूर्ण जवाबदेही राँची नगर निगम की है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग
– 4534.

ज्ञापांकः–3/न0वि0/अल्पसूचित–108/2012 राँची, दिनांक– 04-09-12.

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या –3008 दिनांक–30.08.2012 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।
9/9

Jh-127

59

प्रश्न

श्री कमल किशोर भगत, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–05.09.12 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0– अ.सू. –17

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

1. क्या यह बात सही है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों एवं अन्य क्षेत्रों में लाखों हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण कर लाखों रैयतों को विस्थापित कर दिया गया है,

2. क्या यह बात सही है कि लोकहित में अधिग्रहित अतिरिक्त भूमि को लोक उपक्रमों एवं अन्य द्वारा ऊँची कीमत लेकर लीज या बिक्री किया जा रहा है, संदर्भ एच.ई.सी., बी.एस.एल., टाटा आदि

उत्तर

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची।

1. आंशिक स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि HEC हेतु 7199.51 एकड़ एवं BSL हेतु 29827.02 एकड़ भूमि का अर्जन झारखण्ड निर्माण के पूर्व हुआ है। झारखण्ड निर्माण के पश्चात् लगभग वर्ष 2007 से अबतक सार्वजनिक प्रयोजन हेतु 6596.61 एकड़ (लगभग) भू–अर्जन की कार्रवाई की गई है एवं 7802.31 एकड़ (लगभग) भूमि विभिन्न प्रयोजनों हेतु अर्जनाधीन है।

2. आंशिक स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि बी.एस.एल. के मामले में निदेशक, परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो से प्राप्त सूचनानुसार बोकारो इस्पात संयंत्र प्राईवेट कंपनियों/व्यक्तियों को लीज पर भूमि आवंटित की जा रही है। यद्यपि उन्होंने अपने पत्रांक–200 दि. 1.9.12 एवं विभागीय पत्रांक–719 दि. 3.9.12 द्वारा BSL प्रबंधन से सूचना की माँग की गयी है, जो अप्राप्त है।

H.E.C के मामले में एच.ई.सी. प्रबंधन के प्रतिवेदनानुसार उपक्रम हेतु 7199.51 एकड़ भूमि अधिग्रहण से लगभग 3090 विस्थापित परिवारों में से 4271 व्यक्तियों को नियोजन दिया गया है। HEC द्वारा nominal rate पर आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक

विकास के निमित्त NIFFT, MDEP, Railways, पेट्रोल पम्प, विभिन्न स्कूलों एवं रोड टाऊनशीप निर्माण हेतु भूमि दिया गया है। साथ ही सेल (SAIL) के कॉलोनी निर्माण हेतु 65 एकड़ भूमि 2.5 करोड़ रू0 में दी गई है। पुनः कंपनी (HEC) के पुनर्जीवन (Revival Package) के रूप में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में CISF को 158.00 एकड़ भूमि 79.06 करोड़ रूपये के एवज में, अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम हेतु 31.70 एकड़ भूमि 15.85 करोड़ रूपये में दी गई है।

3. क्या यह बात सही है कि अधिग्रहण में व्यापक पैमाने पर 1984 का भू–अर्जन कानून का दूरूपयोग के कारण राज्य स्तर पर जनाक्रोश पनपा है,

3. उत्तर अस्वीकारात्मक है।

4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार अबतक हुये विस्थापित रैयतों के साथ अन्याय का उच्च स्तरीय जाँच पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

4. ध्यातव्य हो कि एच.ई.सी. को भूमि Deed of Conveyance के आधार पर दी गई है। बी.एस.एल. के मामले में Deed of Conveyance की कार्रवाई होना है, जो सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित रहने के कारण Deed of Conveyance का कार्यान्वयन नहीं हो सका है। सम्प्रति सरकारी/गैर सरकारी कंपनियों के लिए भू–अर्जन हेतु अर्जनकारी निकाय के साथ एकरारनामा (Agreement) किया जा रहा है जिसके तहत वे "झारखण्ड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति–2008" का अनुपालन करेंगे।

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, राँची।

ज्ञापांक–10/डी.एल.ए. वि./अ.सू.–134/12 2886 दिनांक– 04/09/12

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–2972/वि.स., दिनांक–28.8.12 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची तथा विभागीय प्रशाखा–4 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04/09/2012

(परमजीत कौर)
सरकार के संयुक्त सचिव

d/jharkhand vidhan sabha/monsoon satra 12 (lalit)

झारखण्ड सरकार

60

परिवहन विभाग

श्री कमल किशोर भगत, स०वि०स० से प्राप्त चलते अधिवेशन में दिनांक 05.09.2012 को पूछा जानेवाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या - 15 का उत्तर प्रतिवेदन :-

प्रश्नकर्त्ता कमल किशोर भगत स०वि०स०		उत्तर माननीय श्री चम्पई सोरेन परिवहन मंत्री, झारखण्ड सरकार
1. क्या यह बात सही है कि द0 छोटानागपुर परिवहन प्राधिकार द्वारा सभी प्रमण्डलीय जिलों में 10-15 वर्षो पुरानी वाहनों को परमिट निर्गत नही करने का निर्देश जारी की गई है?	-	यह पूर्णतः सही नही है। वाद सं0-W.P(PIL) 6141/2008 के आलोक में द० छोटानागपुर परिवहन प्राधिकार के द्वारा 10 वर्ष से अधिक के पुराने ऑटो रिक्शा को शहरी क्षेत्रों में नया परमिट निर्गत नही करने का निर्णय लिया गया है। 15 वर्षो या उससे अधिक के वाणिज्यिक वाहनों यथा बसों, ट्रकों एवं अन्य प्रकार के वाहनों जिनको प्राधिकार के द्वारा परमिट दिया जाता है उनके परमिट की स्वीकृति या नवीकरण नही करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु दिनांक-05.05.2012 के पूर्व जिन वाणिज्यिक वाहनों को परमिट निर्गमन/नवीकरण हो चुका है, उसके परिचालन पर परमिट की अवधि तक उक्त निर्णय लागू नही होगा।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त प्राधिकार के निर्देश से लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खुँटी जैसे अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के परिवहन संचालकों एवं वाहन मालिकों के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो जायेगी?	-	उत्तर अस्वीकरात्मक है। दक्षिणी छोटानागपुर परिवहन प्राधिकार के निर्णय में उल्लेखित है कि 10-15 वर्षो पुरानी आयु वाले वाहनों के स्थान पर उनके परमिटधारी नये या 15 वर्ष से कम आयु के वाहनों से प्रतिस्थापित करा सकेंगे ।
3. क्या यह बात सही है कि परिवहन संचालकों एवं वाहन मालिकों के समक्ष आये इस संकट का समाधान. हेतु मा0 मुख्यमंत्री ने दिनांक-09.07.2012 को मुख्य सचिव, झारखंड सरकार को निर्देश दिया था?	-	उत्तर स्वीकरात्मक यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । माननीय उच्चतम न्यायालय में अन्तिम पारित आदेश के फलाफल पर विभाग निर्णय लेने पर सक्षम है।
4. यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकरात्मक है तो क्या सरकार वाहन संचालकों के हितों की रक्षा करने के लिए कारगर उपाय करने का विचार खती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	-	कंडिका-2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

परिवहन विभाग

05.09.12 (Sawana Lakra)

ज्ञापांक - परि०वि० - 401/12 - 906 / राँची, दिनांक - 03/9/12

प्रतिलिपि - अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके पत्र संख्या -2960/वि०स० दिनांक 27.08.2012 के प्रसंग में प्रेषित/मंत्रिमण्डल एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

03.9.12

सरकार के उप सचिव

परिवहन विभाग

03.9.12

05.09.12 (Sawana Lakra)

(61)

श्री दीपक बिरूआ, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–5.9.12 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–12 का उत्तर–सामग्री।

क्र0	प्रश्न	माननीय मंत्री, कल्याण विभाग का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् जंगलों में वास करने वाले को जमीन का पट्टा मुहैया कराना है?	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत सारण्डा दावा अधिकार आवेदन सृजन कर के 19 गाँवों को अब तक जमीन का पट्टा नहीं दिया गया है?	दावा आवेदन पत्र सृजन कर सत्यापन करने की कार्रवाई की जा रही है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त 19 गाँवों के निवासियों को जमीन का पट्टा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं हो क्यों?	दावा अधिकार आवेदन वन अधिकार समिति द्वारा सत्यापन कर देने की स्थिति में माह दिसम्बर, 2012 तक पट्टा वितरण कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

कल्याण विभाग

ज्ञापांक–1/वि0 स0 प्र0–19/2012 2175 राँची, दिनांक– 2-9-12 /

प्रतिलिपि :– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–**2907** दिनांक–**25.08.2012** के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विजय कुमार) 1/9/12
सरकार के उप सचिव।

प्रश्न

श्री बंधु तिर्की, स.वि.स. द्वारा दिनांक–5.9.12 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं. –05

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

1. क्या यह बात सही है कि आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची के न्यायालय में वर्ष 2000 से 2012 तक 1520 मुकदमे दायर किये गये तथा 15 नवम्बर, 2000 तक 762 मुकदमे लंबित है?

2. क्या यह बात सही है कि 15 अप्रैल, 2012 तक ग्रहण (एडमिशन) के बिन्दु पर 300 मुकदमा लंबित है,

3 यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, मुकदमों के निष्पादन में शिथिलता बरतने वाले दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने तथा सभी लंबित मुकदमों की एक समय सीमा के अंदर निष्पादन करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

उत्तर

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।

स्वीकारात्मक है।

आयुक्त, द0छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची के प्रतिवेदनानुसार

15 नवम्बर, 2000 तक कुल लंबित वाद–762
16 नवम्बर 2000 से 15.04.2012 तक दायर वाद–1441
16.11.2000 से 15.04.2012 तक कुल वाद–2203
16.11.2000 से 15.04.2012 तक निष्पादित–1129
15.04.2012 को लंबित वाद (Admission की stage सहित)–1074

उक्त लंबित वादों में एडमिशन की stage पर 300 मामले भी सम्मिलित है। इनकी भी नियमित सुनवाई की जा रही है एवं यदि विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता नहीं हो तो ऐसे वादों को Admission stage पर ही निष्पादित किया जाता है।

न्यायालय कार्य एक न्यायिक कार्य है, इसके लिए समय–सीमा निर्धारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। वर्तमान में प्रत्येक सप्ताह में दो दिन नियमित रूप से वादों की सुनवाई की जाती है एवं त्वरित निष्पादन हेतु कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–4/वि.स. (अल्पसूचित)–25/12 2870 /रा., राँची, दिनांक– 03/09/12

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–2226/वि.स. दिनांक–21.8.12 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/संसदीय कार्य मंत्री कोषांग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय तथा विभागीय प्रशाखा–4 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

V.S(Manoj)

03/9/12
(शंकर मांझी)
सरकार के उप सचिव।

(63)

प्रश्न

श्री रघुवर दास, स.वि.स. द्वारा दिनांक–5.9.12 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं.–7

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

1. क्या यह बात सही है कि टाटा लीज नवीकरण एकरारनामा 20.8.2005 की कंडिका–7 में यह उपबंध है कि एपेन्डिक्स ई. (बस्ती क्षेत्र) में लेसी (टिस्को कम्पनी) को पानी, विद्युत तथा अन्य नगरिक सुविधा उचित दर पर उपलब्ध कराना है।
2. क्या यह बात सही है, कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र सं.–5/टाटा लीज (विविध)–1735/रा. दिनांक–16.1.2012 द्वारा उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को खण्ड–I में वर्णित सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एकरारनामा के उल्लंघन के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

V.S(Manoj)

उत्तर

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।

–हाँ–

उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के ज्ञापांक–251/टी.एल., दिनांक–16.6.12 एवं पत्रांक–305/टी.एल. दिनांक–21.7.12 के द्वारा टाटा स्टील लि0 को अनुपालन प्रतिवेदन की माँग की गयी है, अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है।

कृ.पृ.उ.

झारखण्ड सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–5/वि.स. अल्प सूचित–251/12.....2863/रा0, राँची, दिनांक–03/09/12

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2227 दिनांक–21.8.12 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/संसदीय कार्य मंत्री कोषांग, झारखण्ड विधान सभा/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–4 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/9/2012
सरकार के संयुक्त सचिव।

V.S(Manoj)

श्री नवीन जायसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा दि0–05.09.12 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–26 का उत्तर :–

क्रं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची नगर निगम क्षेत्रों में सड़कों तथा नाली की स्थिति काफी दयनीय तथा जर्जर है	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि इनमें से कई कॉलोनीयाँ तथा मोहल्लों में वर्षो से सड़क एवं नाली के निर्माण एवं सुधार हेतु किसी तरह का कार्य नहीं किया गया है,	अस्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि निगम चुनाव के उपरान्त सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष जनसंख्या, राजधानी का महत्त्व, प्रमण्डलीय मुख्यालय, जिला मुख्यालय आदि कारकों के आधार पर निगम को सड़क एवं नालियों के निर्माण हेतु राशि आवंटित की जाती है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर निगम द्वारा माँगे जाने पर विशेष परिस्थिति में योजना के विरूद्ध भी राशि निगम को उपलब्ध करायी जाती है। योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन निकाय स्तर पर ही निगम बोर्ड द्वारा किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त समस्याओं के निदान हेतु कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम - 2011 की धारा 70 (क) के अनुसार सड़क नाली सहित 18 मुख्य कार्यो और सेवाओं को उपलब्ध कराने का प्रबंध शहरी निकायों को करना है। उक्त अधिनियम की धारा-72 के अनुसार नगरपालिका निधि पर प्रथम प्रभार नगरपालिका के मुख्य कार्यो का सफलतापूर्वक निर्वहन करना है। तथापि प्रत्येक वित्तीय वर्ष राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के मुख्य कार्यो सहित अन्य कार्यो हेतु अनुदान स्वरूप राशि उपलब्ध करायी जाती है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांक :– 4 / न0वि0 / अल्पसूचित–28 / 12 – 4531 /   राँची, दिनांक :– 04-09-12

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–3007 दि0–14.08.12 के क्रम 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रार्यार्थ प्रेषित

4/9/2012
(राम नारायण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

65

श्री अमित कुमार यादव, स०वि०स० से प्राप्त चलते अधिवेशन में दिनांक 05.09.2012 को पूछा जानेवाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या - 24 का उत्तर प्रतिवेदन :-

अल्प सूचित प्रश्नकर्त्ता कमल किशोर भगत स०वि०स०		उत्तर माननीय श्री चम्पई सोरेन परिवहन मंत्री, झारखण्ड सरकार
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के गठन हुए 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी परिवहन विभाग द्वारा प्रोन्नति नियमावली नही बनायी गयी है, जिस कारण विभाग के लिपिकों का प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति बाधित है;	-	यह पूर्णतः सही नही है। वस्तु स्थिति यह है कि परिवहन विभाग द्वारा प्रवर्त्तन तंत्र की नियुक्ति/प्रोन्नति की नियमावली निर्माण के प्रक्रियाधीन है । नियमावली प्रारूप पर कार्मिक विभाग/विधि विभाग की सहमति प्राप्त है। इस नियमावली में भी लिपिक संवर्ग से प्रवर्तन अवर निरीक्षक, (विसंवर्गीय पद) प्रोन्नति का प्रावधान नही किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के 2 वर्ष के भीतर उक्त नियमावली नही बनने से बिहार में बनी प्रोन्नति नियमावली ही राज्य में लागू हो जाएगी;	-	झारखण्ड सरकार ने बिहार सरकार के प्रवर्तन तंत्र की नियुक्ति/प्रोन्नति नियमावली को अंगीकृत नही किया है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बिहार में बनी नियमावली के आधार पर परिवहन विभाग के लिपिकों को प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति देना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	-	उपरोक्त कण्डिका - 1 एवं 2 के आलोक में लिपिकों को प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति का प्रश्न नहीं उठता है।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

परिवहन विभाग

ज्ञापांक - परि०वि० - 407/12 - 905 / राँची, दिनांक - 03/9/12

प्रतिलिपि-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके ज्ञांप संख्या -3009/वि०स० दिनांक 30.08.2012 के प्रसंग में प्रेषित/मंत्रिमण्डल एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

03.9.12

सरकार के उप सचिव

परिवहन विभाग

03.9.12

05.09.12 (Sawana Lakra)

मा0, स0वि0स0, श्री दुल्लू महतो द्वारा दिनांक 05.09.2012 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 – 21 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिले बाघमारा विधान सभा क्षेत्र के तेलमच्चो पुल से सिन्दरी तक दामोदर नदी के किनारे एक पथ का निर्माण कार्य विगत 10–15 वर्ष पूर्व कराया गया था ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क का निर्माण कार्य बीच में ही स्थगित कर दिया गया ; 3. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क सुदूर क्षेत्रों को मुख्य मार्ग से जोड़ती है ; 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित सड़क के पुनर्निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	पथ निर्माण विभाग के रोड नेटवर्क में हस्तांतरण हेतु सामान्यतः वैसे पथों को चुना जाता है जो राज्य की राजधानी या प्रमण्डलीय मुख्यालय से जिला मुख्यालय, अनुमंडल या प्रखण्ड मुख्यालय अथवा प्रमुख पर्यटन स्थल को जोड़ती है। सम्बद्ध पथ उक्त श्रेणी का नहीं है। फलस्वरुप पथ निर्माण विभाग में सम्बद्ध पथ के स्थानान्तरण का सम्प्रति कोई विचार नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 08–अ0सू0–19 / 2012 6412(S) राँची / दिनांक : 4/9/12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 29961 दिनांक 30.08.2012 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

अनु0 : यथोक्त ।

4/9/12
(ए0पी0चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक :08–अ0सू0–19 / 2012 6412(S) राँची / दिनांक : 4/9/12

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

4/9/12
(ए0पी0चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।